मनरेगा से हटेगा भोपाल जिला

- योजना आयोग कर रहा बदलाव बाहर होंगे शहरी आबादी वाले जिले
- योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह से खास बातचीत

भोपाल(नप्र)। अगली पंचवर्षीय योजना में मनरेगा से भोपाल जिला हट जाएगा। अब केवल उन्हीं जिलों में यह योजना संचालित की जाएगी जहां अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी 30 फीसदी के ऊपर होगी। इसके साथ पूरे साल मनरेगा के तहत होने वाले काम 15 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभी तक 2 अक्टूबर को इनकी घोषणा की जाती थी।

योजना आयोग और राष्ट्रीय परामर्श परिषद के सदस्य डॉ. मिहिर शाह ने नवदुनिया से विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल जैसे शहरी आबादी वाले जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जरूरत नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी आबादी के बाहुल्य वाले जिलों में मनरेगा का संचालन बंद किया जाएगा, क्योंकि यहां पर योजना के तहत काम कराने के लिए मजदूर ही नहीं मिल पाते। अब केवल अजा और अजजा बाहुल्य जिलों पर ही फोकस किया जाएगा।

भ्रष्टाचार का भी विकेन्द्रीकरण

श्री शाह ने स्वीकार किया कि विकेन्द्रीकृत नियोजन के साथ भ्रष्टाचार का भी विकेन्द्रीकरण हो रहा है। यह विकेन्द्रीकरण की राह में एक बड़ा रोड़ा बना हुआ है। विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करना जरूरी है।

15 अगस्त को जारी होगा प्लान

श्री शाह ने बताया कि मनरेगा के तहत पूरे साल क्या काम होंगे इसकी पूरा खाका अब 15 अगस्त को जारी किया जाएगा। इससे मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थानों को पलायन रुकेगा। अभी यह प्लान 2 अक्टूबर को जारी होता है तब तक मजदूर पलायन कर जाते हैं। अब मनरेगा के तहत होने वाले कामों का पूरा खाका तैयार होगा उसके हिसाब से काम शुरू होंगे। इन कामों को साल भर में पूरा किया जाएगा। इससे यह योजना केवल गडढ़े खोदने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि स्थाई संरचनाओं का निर्माण हो सकेगा, जिसका लाभ ग्रामवासियों को मिलेगा।